34

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2844-दो/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 31.7.214 - पारित द्वारा - तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर - प्रकरण क्रमांक 1228 बी-121/13-14

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् ईसागढ़ जिला अशोकनगर ---आवेदक

विरूद्ध

रणवीर सिंह पुत्र रमेश सिंह
ग्राम मिन्दपुरा तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक 11-01-2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 1228 बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 31-7-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ईसागढ़ ने पत्र क्रमांक न0पं0/2014/308 दिनांक 13-4-2014 लिखकर तहसीलदार ईसागढ़ को अवगत कराया कि ईसागढ़ की भूमि सर्वे क्रमांक 770 रकबा 0.293 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) रणवीर सिंह पुत्र रमेश सिंह यादव निवासी मिन्दपुरा ने क्रय की है परन्तु रणवीर सिंह यादव द्वारा समाधी के आगे शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर दुकान निर्माण की जा रही है, इसलिये शासन की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिये स्थल

का परिमाप करवाया जावे। तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण कमांक 1228 बी-121/2013-14 पॅजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी को भूमि के सीमांकन के निर्देश दिये। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमा चिन्हों अनुसार परिमाप में व्यवधान होने से सीमांकन में विफलता बताने के कारण तहसीलदार ईसागढ़ ने कलेक्टर प्रभारी भू अभिलेख अशोकनगर को पत्र दिनांक 15-5-14 लिखकर अधीक्षक भू अभिलेख अशोकनगर से सीमांकन कराये जाने की मांग की, जिस पर से कलेक्टर भू अभिलेख जिला अशोकनगर ने आदेश दिनांक 21-5-14 से सीमांकन दल गठित किया। सहायक अधीक्षक भू अभिलेख अशोकनगर ने सीमांकन हेतु गठित दल ने सीमांकन कर प्रतिवेदन दिनांक 22-7-14 प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण कमांक 1228 बी-121/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 31-7-2014 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा दिये गये तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ईसागढ़ के पत्र कमांक न0पं0/2014/308 दिनांक 13-4-2014 पर से वादग्रस्त भूमि के सीमांकन हेतु तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण कमांक 1228 बी-121/2013-14 पॅजीबद्व किया है तथा राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी को भूमि के सीमांकन के निर्देश दिये है किन्तु राजस्व निरीक्षक ने शासकीय सर्वे नंबर 767 की मेढ़ों का मिलान न होने के कारण सीमांकन नहीं किया । तहसीलदार ईसागढ़ ने भूमि की वास्तविक स्थिति जानने एंव मुख्य नगर पालिका अधिकारी ईसागढ़ के चाहे अनुसार सीमांकन कराने के उद्वेश्य से कलेक्टर प्रभारी भू अभिलेख अशोकनगर को पत्र दिनांक 15-5-14 लिखकर अधीक्षक भू अभिलेख अशोकनगर से सीमांकन कराये जाने की मांग की गई। जिस पर से कलेक्टर भू अभिलेख जिला अशोकनगर ने आदेश दि. 21-5-14 से सीमांकन हेतु दल गठित किया है , जिसमें निम्नानुसार सदस्य रहे हैं :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा सहा. अधीक्षक भू अभिलेख
2. श्री बलबहादुर सिंह कौराव राजस्व निरीक्षक
3. श्री प्रभुलाल राजस्व निरीक्षक वृत्त ईसागढ़
4. पटवारी मौजा ईसागढ़

सीमांकन दल ने दिनांक 5-6-2014 को भूमि सर्वे नंबर 770 के भूमिस्वामी एंव ग्राम के पंचगण, मुख्य नगरपालिका अधिकारी ईसागढ़ तथा तहसीलदार ईसागढ़ की उपस्थिति में सीमांकन कार्य किया है। अधीक्षक भू अभिलेख जिला अशोकनगर का सीमांकन प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

" मेरे निर्देशन में सर्वेक्षण दल व्दारा सर्वप्रथम आस-पास के खेतों को नापकर तीन मुस्तकिल मुकाम स्थल पर कायम किये जिन्हें संलग्न फील्ड बुक में एम 1, एम2, एम3 से दर्शाया गया है इन तीन मुस्तकिल मुकामों के आधार पर से विषयांकित सर्वे नंबर 770 के चारों बिन्दु ए, बी, सी, डी स्थल पर मुताविक नक्शा कायम किये। मौके पर निशान लगाए तथा सीमायें समझाई गई। उपस्थित ग्राम पंचान एंव उभय पक्ष की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया जो संलग्न है। "

स्पष्ट है कि सीमांकन मुख्य नगर पालिका अधिकारी ईसागढ़ एंव तहसीलदार ईसागढ़ की उपस्थित में अधीक्षक भू अभिलेख व्दारा दल के साथ किया गया है यदि सीमांकन करते समय परिमाप में अथवा अन्य प्रकार की विसंगति थी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ईसागढ़ को तत्समय आपत्ति दर्ज कराना थी अथवा तहसीलदार के प्रकरण में आदेश दि. 31-7-2014 पारित करने के पूर्व आपत्ति दर्ज कराना थी, जबकि अधीक्षक भू अभिलेख के सीमांकन प्रतिवेदन में किसी प्रकार की कमीवेशी नहीं है , जिसके कारण तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर व्दारा पारित आदेश दि. 31-7-2014 में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 1228 बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 31-7-2014 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर